भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1901
दिनांक 30 जुलाई, 2026

एलपीजी लाभार्थियों को राजसहायता

†1901. **श्री के. राधाकृष्णनः**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान राजसहायता प्राप्त करने वाले घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान लाभार्थियों की संख्या में कमी आई है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान एलपीजी राजसहायता पर खर्च की गई कुल राशि कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए घरेलू एलपीजी को किफायती बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ): दिनांक 01.07.2026 की स्थिति के अनुसार, देश में 33.13 करोड़ घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं, जिनमें 10.58 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन भी शामिल हैं। देश के सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को विनियमित खुदरा बिक्री मूल्य (जैसे दिल्ली में 942 रुपये) पर एलपीजी रिफिल उपलब्ध हैं, जो बाजार निर्धारित कीमतों से कम हैं। वर्तमान में, 942 रुपये प्रति सिलेंडर की एलपीजी रिफिल पर प्रति सिलेंडर के लिए 500 रुपए से अधिक की निहित सब्सिडी प्रदान की जाती है।

सरकार पूरे देश के घरों तक घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है, जिसके लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में ओएमसीज़ को 22,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया और वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 में 30,000 करोड़ रुपये का भुगतान कर रही है। इस मुआवजे के भुगतान के बाद भी, 30 जून 2026 तक पीएसयू ओएमसीज़ द्वारा घरेलू एलपीजी पर संचयी अल्प वसूली 51,000 करोड़ रुपये से अधिक थी।

अप्रैल 2022 से पिछले पाँच वर्षों के दौरान, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में घरेलू उपयोग हेतु एलपीजी के उपभोक्ताओं की संख्या संबंधी विवरण अनुलग्नक-क में दिया गया है।

वर्ष 2021-22 से अब तक सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी पर दिए गए राजसहायता का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
एलपीजी (डीबीटीएल) राजसहायता हेतु प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (क)	242	855	1227	366	1083*
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत दी जाने वाली राजसहायता (ख)	1569	6110	10217	13274	9976*
घरेलू एलपीजी क्षेत्र में हुए नुकसान के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी कंपनियों को मुआवजा (ग)	-	22000	-	-	12500
एलपीजी पर कुल राजसहायता (क+ख+ग)	**1811**	**28965**	**11444**	**13640**	**23559**

*आंकड़े दिसंबर 2025 तक

स्रोत – पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

अनुलग्नक-क

'एलपीजी लाभार्थियों को राजसहायता' के संबंध में श्री के. राधाकृष्णन द्वारा दिनांक 30.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.1901 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

विगत पांच वर्षों में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार घरेलू एलपीजी कनेक्शनों की संख्या

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार*	दिनांक 01.04.2023 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 01.04.2026 की स्थिति के अनुसार
चंडीगढ़	2,86,442	2,87,723	3,00,133	3,06,663	3,08,020
दिल्ली	51,53,568	53,34,159	55,87,074	56,89,812	56,40,297
हरियाणा	74,75,277	76,11,678	80,66,981	82,60,045	84,02,503
हिमाचल प्रदेश	21,14,690	21,47,429	21,93,210	22,43,595	22,53,971
जम्मू और कश्मीर	35,68,167	34,59,799	34,98,617	35,42,130	35,64,357
लद्दाख	--	94,661	97,122	1,00,474	1,03,899
पंजाब	91,60,891	93,39,704	95,20,107	96,34,554	96,64,020
राजस्थान	1,71,73,885	1,75,74,787	1,81,69,643	1,83,81,359	1,85,55,218
उत्तर प्रदेश	4,52,32,099	4,63,44,627	4,76,73,221	4,83,43,195	4,90,35,497
उत्तराखंड	29,16,891	30,25,493	31,32,533	32,27,033	32,34,344
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,20,005	1,22,756	1,25,643	1,29,192	1,30,582
अरुणाचल प्रदेश	2,98,196	3,07,703	3,19,326	3,33,244	3,41,558
असम	79,32,550	83,85,807	90,37,648	91,78,502	93,72,797
बिहार	2,06,89,619	2,15,16,623	2,25,35,196	2,29,37,885	2,35,87,606
झारखंड	60,70,506	62,76,470	65,45,836	66,23,467	67,61,798
मणिपुर	6,24,068	6,56,806	6,83,260	7,05,315	7,14,688
मेघालय	3,60,904	4,09,648	4,84,161	5,22,903	5,30,559
मिजोरम	3,30,601	3,42,181	3,56,912	3,65,810	3,67,287
नागालैंड	3,10,838	3,33,618	3,67,541	3,86,370	3,97,186
ओडिशा	94,69,153	96,95,790	99,61,628	1,00,56,142	1,02,15,353
सिक्किम	1,67,321	1,69,580	1,82,158	1,89,068	1,93,166
त्रिपुरा	7,69,638	7,88,951	8,26,148	8,46,068	8,69,458
पश्चिम बंगाल	2,52,14,925	2,67,79,527	2,68,46,132	2,71,28,190	2,72,43,095
छत्तीसगढ	57,31,143	59,01,280	62,08,635	63,27,871	65,18,365
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1,64,889	1,66,935	1,71,501	1,71,994	1,75,121
गोवा	5,37,733	5,47,857	5,63,174	5,80,118	5,87,657
गुजरात	1,15,84,089	1,20,57,143	1,25,80,101	1,27,77,764	1,28,49,035
मध्य प्रदेश	1,63,16,422	1,66,59,985	1,72,98,851	1,75,03,763	1,77,44,434
महाराष्ट्र	2,98,54,482	3,03,86,661	3,10,76,065	3,17,11,920	3,20,12,830
आंध्र प्रदेश	1,47,10,846	1,49,20,574	1,55,24,764	1,59,52,103	1,61,59,704
कर्नाटक	1,73,35,893	1,78,55,747	1,84,73,160	1,88,54,621	1,91,13,405
केरल	93,40,572	95,04,494	96,61,166	98,12,904	98,46,131
लक्षद्वीप	10,610	10,927	13,446	14,023	14,184
पुडुचेरी	3,88,291	3,93,898	4,04,732	4,11,830	4,19,060
तमिलनाडु	2,21,77,395	2,26,08,470	2,33,33,117	2,37,56,601	2,40,67,862
तेलंगाना	1,17,31,495	1,20,13,290	1,23,99,492	1,26,91,569	1,29,26,363

नोट: * केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के एक्टिव घरेलू एलपीजी कनेक्शन की संख्या को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के आंकड़ों के साथ मिला दिया गया है (दिनांक 01.04.2022 के आंकड़ों के अनुसार)

स्रोत: पीएसयू ओएमसीज़ की ओर से आईओसीएल